



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008
(2008 का संख्यांक 4)

सं. 5-4/2000-प्र. एवं का.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इस विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 कहा जाएगा।
- (2) ये भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में,—
 - (क) उप-विनियम (i) में, खंड (ख) में, "अधिकारी संवर्ग का गठन" शब्दों के स्थान पर "अधिकारी संवर्ग का गठन जिसमें इन विनियमों के विनियम 10क के अंतर्गत स्थायी रूप से आमेलित अधिकारी शामिल हैं" शब्द, संख्याएं और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
 - (ख) उप-विनियम (iii) में,—
 - (i) तालिका क के अंतर्गत, "ग्रेड/पद" शीर्षक के अधीन—
 - (अ) "संयुक्त सलाहकार" प्रविष्टि के स्थान पर "संयुक्त सलाहकार/स्टाफ अधिकारी" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
 - (आ) "अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/सहायक लेखा अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष" प्रविष्टि के स्थान पर "अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/पुस्तकालयाध्यक्ष" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
 - (ii) तालिका क के नीचे, "ग्रेडों के संख्या और पदों की संख्या" शब्दों के स्थान पर "ग्रेडों की संख्या और पदों की संख्या (जिनमें प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों में पदों की संख्या भी शामिल हैं)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में,—

(क) उप-विनियम (i) में, —

(i) प्रारंभिक भाग में, "निम्नलिखित रीति से" शब्दों के स्थान पर "निम्नलिखित रीति से तथा अनुसूची-I के अनुरूप" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) तालिका में,—

(I) सचिव के पद के सम्मुख, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती (डीआर)" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(II) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख, "—तद्वैव—" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(III) सलाहकार के पद के सम्मुख, "—तद्वैव—" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(IV) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख, "—तद्वैव—" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(V) "संयुक्त सलाहकार" पद के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता/अनुभव
"स्टाफ अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची-I के अनुसार";

(VI) उप-सलाहकार/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/प्रधान निजी सचिव, तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव/सहायक लेखा अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता/अनुभव
"उप सलाहकार	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची I के अनुसार
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
प्रधान निजी सचिव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची I के अनुसार
तकनीकी अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
अनुभाग अधिकारी	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
निजी सचिव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार
पुस्तकालयाध्यक्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची I के अनुसार";

(ख) उप-विनियम (ii) के पश्चात, निम्न उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) ट्राई के संवर्ग में शामिल तथा सचिव, प्रधान सलाहकार, सलाहकार और संयुक्त सलाहकार के पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखने वाले अधिकारी भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ-साथ इन पदों पर प्रवर्ण समिति द्वारा साक्षात्कार में उम्मीदवार के प्रदर्शन तथा उसकी योग्यता/कार्य के अनुभव के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर प्रतिनियुक्ति, आमेलन अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होंगे।”

4. प्रधान विनियमों के विनियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“भाग Vक - आमेलन

10क.(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पहले से ही नियुक्त किसी व्यक्ति को, उपयुक्त आदेश द्वारा, स्थायी आमेलन के लिए नियुक्त कर सकेगा:

परंतु यह कि कोई व्यक्ति प्राधिकरण में आमेलित नहीं किया जाएगा, तब तक कि ऐसे व्यक्ति ने,-

(क) प्राधिकरण द्वारा ऐसा कहे जाने पर, प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने का अपना विकल्प लिखित रूप में न दिया हो; और

(ख) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष पूरा न किया हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आमेलित कर सकेगा,-

(क) प्रवर्ण समिति की सिफारिश पर तथा प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और

(ख) ऐसे व्यक्ति के आमेलन के लिए, यथास्थिति, मूल मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकाय के साथ परामर्श करने पर।”।

5. प्रधान विनियमों के विनियम 11 में,-

(क) खंड (ii) में, “उस ग्रेड में विशेष रूप से कतिपय वरिष्ठता” शब्दों के पश्चात “प्राधिकरण द्वारा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ii क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो तथा बाद में आमेलित किया गया हो, उसकी उस ग्रेड में, जिसमें वह आमेलित हुआ है, वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि उसने अपने मूल विभाग में वही अथवा समकक्ष ग्रेड नियमित आधार पर पहले ही (आमेलन की तारीख को) धारित किया हुआ है, तो उस ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा बशर्त कि उसे निम्न के अध्यक्षीन वरिष्ठता प्रदान की जाएगी-

- (क) वह तारीख जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है; अथवा
 (ख) वह तारीख जिसको वह उसके मूल विभाग में समान अथवा समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है;

इनमें से जो भी पहले हो:

परंतु यह कि उक्त सिद्धांतों के अनुरूप किसी स्थानांतरिती की वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे आमेलन की तारीख से पूर्व आगामी उच्च ग्रेड में हुई किसी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।”

6. प्रधान विनियमों के विनियम 12 में, “अल्पकालिक आवश्यकता” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष से अनधिक अल्पकालिक आवश्यकता” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. प्रधान विनियमों के विनियम 13 में, “और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों” शब्दों के स्थान पर “सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. प्रधान विनियमों के विनियम 14 में,—

(क) उप-विनियम (i) में, खंड (ख) में, “कर्मचारी संवर्ग का गठन” शब्दों के पश्चात “कर्मचारी संवर्ग का गठन जिनमें इन विनियमों के विनियम 21क के अंतर्गत स्थायी रूप से आमेलित कर्मचारी शामिल हैं” शब्द, संख्याएं और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (iii) में,—

(i) तालिका ख के नीचे,—

(अ) “कनिष्ठ लेखा अधिकारी” पद का लोप किया जाएगा;

(आ) “फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर” प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

“फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)
 फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर”;

(ii) तालिका ख के नीचे, “ग्रेडों की संख्या तथा पदों की संख्या” शब्दों के स्थान पर “ग्रेडों की संख्या तथा पदों की संख्या (जिनमें प्राधिकरण के विभिन्न प्रभागों में पदों की संख्या भी शामिल हैं)” शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

9. प्रधान विनियमों के विनियम 16 में,—

(क) उप-विनियम (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कर्मचारी संवर्ग की प्रारंभिक स्थापना के पश्चात, यदि खंड 14 के उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी ग्रेड में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, अथवा किसी भी ग्रेड में नए पद सृजित किए जाते हैं, तो उन्हें अनुसूची II के अनुरूप तथा निम्नलिखित रीति से भरा जाएगा:

पद का नाम	भर्ती का तरीका	अर्हता/अनुभव
सहायक/वैयक्तिक सहायक	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
आशुलिपिक	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
अवर श्रेणी लिपिक	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
चालक (ग्रेड I)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	अनुसूची II के अनुसार
चालक (ग्रेड II)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)	पदोन्नति	अनुसूची II के अनुसार
फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
डिस्पैच राइडर	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार
परिचर	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती	अनुसूची II के अनुसार

10. प्रधान विनियमों के विनियम 21 के पश्चात, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

भाग XIक - आमेलन

21क. (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर पहले ही नियुक्त व्यक्तियों को, उपयुक्त आदेश द्वारा, स्थायी आमेलन के लिए नियुक्त कर सकेगा:

परंतु यह कि कोई व्यक्ति प्राधिकरण में आमेलित नहीं किया जाएगा, तब तक कि ऐसे व्यक्ति ने,-

- (क) प्राधिकरण द्वारा ऐसा कहे जाने पर, प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने का अपना विकल्प लिखित रूप में न दिया हो; और
- (ख) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष पूरा न किया हो।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को आमेलित कर सकेगा,-

- (क) प्रवरण समिति की सिफारिश पर तथा प्राधिकरण में ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए; और
- (ख) ऐसे व्यक्ति के आमेलन के लिए, यथास्थिति, मूल मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकाय के साथ परामर्श करने पर।।

11. प्रधान विनियमों के विनियम 22 में,—

(क) खंड (ii) में, "उस ग्रेड में विशेष रूप से कतिपय वरिष्ठता" शब्दों के पश्चात, "प्राधिकरण द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ii क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो तथा बाद में आमेलित किया गया हो, उसकी उस ग्रेड में, जिसमें वह आमेलित हुआ है, वरिष्ठता की गणना सामान्यतया आमेलन की तारीख से की जाएगी। तथापि, यदि उसने अपने मूल विभाग में वही अथवा समकक्ष ग्रेड नियमित आधार पर पहले ही (आमेलन की तारीख को) धारित किया हुआ है, तो उस ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि उसे निम्न के अध्यक्षीन वरिष्ठता प्रदान की जाएगी—

(क) वह तारीख जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है; अथवा

(ख) वह तारीख जिसको वह उसके मूल विभाग में समान अथवा समकक्ष ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है;

इनमें से जो भी पहले हो:

परंतु यह कि उक्त सिद्धांतों के अनुरूप किसी स्थानांतरिती की वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे आमेलन की तारीख से पूर्व आगामी उच्च ग्रेड में हुई किसी नियमित पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।"

12. प्रधान विनियमों के विनियम 23 में, "अल्प/मध्यमकालिक आवश्यकता" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष से अनधिक अल्पकालिक आवश्यकता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. प्रधान विनियमों के विनियम 24 में, "और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों" शब्दों के स्थान पर "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी निकायों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. प्रधान विनियमों के विनियम 24 के पश्चात, "भाग XIV – प्रकीर्ण" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"भाग XIV – प्रकीर्ण
(अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू)

15. प्रधान विनियमों के विनियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"27. कतिपय मामलों में उच्च ग्रेडों और निम्न ग्रेडों के कर्तव्यों का निवर्हन:

नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, निम्न का निदेश दे सकेगा,—

(क) किसी अधिकारी या कर्मचारी को आदेश में यथानिर्दिष्ट अवधि के लिए आगामी उच्च ग्रेड का कार्य देखने के लिए जबकि वह बिना किसी आर्थिक लाभ के किसी विशेष पद या उत्तरदायित्व को धारण करना जारी रखे हुए हो;

(ख) किसी अधिकारी को, जोकि ऐसा पद धारण करते हुए संवर्ग में किसी उच्च ग्रेड से संबंधित हो, बिना किसी आर्थिक हानि के तत्काल निचले ग्रेड में किसी पद से संबंधित उत्तरदायित्वों को देखने के लिए"।

16. प्रधान विनियमों की अनुसूची I में,—

(क) सचिव के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में,—

(I) "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(II) मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(v) अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री अथवा अर्थशास्त्र/वाणिज्य में डॉक्टोरेट डिग्री";

(ख) प्रधान सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) संयुक्त सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ड) "संयुक्त सलाहकार" के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि	प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
"स्टाफ अधिकारी	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन	लागू नहीं	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारियों में से पदोन्नति।	केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी जो (i) समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	लागू नहीं";

(च) उप सलाहकार के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(छ) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ई) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए आयु" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ज) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(झ) प्रधान निजी सचिव के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ई) "सीधी भर्ती उम्मीदवार के लिए आयु" शीर्षक के अधीन, "लागू नहीं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ञ) तकनीकी अधिकारी पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन,—

(I) प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ट) अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के सम्मुख,—

(अ) "पद का नाम" शीर्षक के अधीन, "अनुभाग अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(आ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(इ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ठ) निजी सचिव के पद के सम्मुख,—

(I) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "—तदैव—" प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती"

(II) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ड) अंत में आने वाली टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"टिप्पणी 1. — दूरसंचार में नेटवर्क्स (जिसमें फिक्सड, मोबाइल, कन्वर्ज्ड नेटवर्क, विनियामक प्रवर्तन और सेवा गुणवत्ता शामिल हैं) से संबंधित मामलों का निपटान करने वाले प्रधान सलाहकार/सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, यथास्थिति, पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी और/अथवा दूरसंचार इंजीनियरी में डिग्री एक अनिवार्य अर्हता होगी तथा उम्मीदवार दूरसंचार के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखता हो।

टिप्पणी 2. — टिप्पणी 1 के अंतर्गत न आने वाले प्रधान सलाहकार/सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए, यथास्थिति, पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, यथास्थिति, व्यवसाय प्रशासन/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/इंजीनियरी/विधि/विज्ञान/कला में मास्टर्स/स्नातक डिग्री अथवा, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंट्स ऑफ इंडिया/इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता एक अनिवार्य अर्हता होगी तथा उम्मीदवार प्रासंगिक क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव रखता हो।

टिप्पणी 3. — यथास्थिति, प्रधान सलाहकार, सलाहकार, संयुक्त सलाहकार, स्टाफ अधिकारी, उप सलाहकार, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, प्रधान निजी सचिव, तकनीकी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी/पुस्तकालयाध्यक्ष और निजी सचिव के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु किसी भी स्थिति में पदों के भरे जाने के लिए आवेदनों की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4. — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्त तथा फीडर संवर्ग में पद धारण करने वाले व्यक्ति ऐसे आगामी उच्च पद में पदोन्नति के लिए विचार किए जाते रहेंगे तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के अन्य सभी उपबंध, जैसे कि वे ऐसे प्रारंभ से पूर्व थे, ऐसे संशोधन से पूर्व नियुक्त हुए ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू होना जारी रहेंगे।

टिप्पणी 5. — इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता मानदण्ड की पूर्ति—मात्र ही किसी व्यक्ति—विशेष को आगामी उच्च ग्रेड में पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। पदोन्नति के मामलों पर आगामी उच्च ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तात्कालिकता के अध्येक्षित विचार किया जाएगा।

17. प्रधान विनियमों की अनुसूची II में,—

(क) "कनिष्ठ लेखा अधिकारी/सहायक" के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

“पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि	प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
“सहायक	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ सीधी भर्ती	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक डिग्री, अभ्यर्थी कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।	अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति जिनका कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो।	केन्द्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक या स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी जो, (i) समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) 3050—4590 रु० के वेतनमान में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, तथा कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान रखते हों।	28 वर्ष से अधिक नहीं”

(ख) वैयक्तिक सहायक के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) आशुलिपिक के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) अवर श्रेणी लिपिक के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ड.) चालक (ग्रेड I) और चालक (ग्रेड II) के पदों के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशायी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(च) चालक (ग्रेड II) के पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थातः—

पद का नाम	भर्ती का तरीका	सीधी भर्ती के लिए अर्हता और अनुभव	पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि	प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव	सीधी भर्ती के लिए आयु
फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)	पदोन्नति	लागू नहीं	फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर जिसने उस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो	लागू नहीं	लागू नहीं

(छ) फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर और डिस्पैच राइडर के पदों के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्ष के अधीन, "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके अभाव में पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा" प्रविष्टि के स्थान पर, "पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि (i) के पूर्व, "केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक या स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी जिनके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव हो, अर्थात्:—" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ज) परिचर के पद के सम्मुख,—

(अ) "भर्ती का तरीका" शीर्षक के अधीन, "सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति" प्रविष्टि के स्थान पर, "प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती" प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(आ) "प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हता और अनुभव" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि में, "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(झ) अंत में, निम्नलिखित टिप्पणियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"टिप्पणी 1. — सहायक, वैयक्तिक सहायक, अवर श्रेणी लिपिक, चालक (ग्रेड I), चालक (ग्रेड II), फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर तथा परिचर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु, किसी भी स्थिति में, पदों के भरे जाने के लिए आवेदनों की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2. — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 के प्रारंभ होने से पूर्व नियुक्त तथा फीडर संवर्ग में पद धारण करने वाले व्यक्ति ऐसे आगामी उच्च पद में पदोन्नति के लिए विचार किए जाते रहेंगे तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के अन्य सभी उपबंध, जैसे कि वे ऐसे प्रारंभ से पूर्व थे, ऐसे संशोधन से पूर्व नियुक्त हुए ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू होना जारी रहेंगे।

टिप्पणी 3. — चालक (ग्रेड I), चालक (ग्रेड II), फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (बरिष्ठ ग्रेड), फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर तथा परिचर के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए भूतपूर्व सैनिकों तथा होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा में बुनियादी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी 4 - इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता मानदण्ड की पूर्ति-मात्र ही किसी व्यक्ति-विशेष को आगामी उच्च ग्रेड में पदोन्नति का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। पदोन्नति के मामलों पर आगामी उच्च ग्रेड में रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तात्कालिकता के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

18. प्रधान विनियमों की अनुसूची III में,-

(क) क्रमांक 3 के सम्मुख, "पद का नाम" शीर्षक के अंतर्गत, "संयुक्त सलाहकार" प्रविष्टि के स्थान पर "संयुक्त सलाहकार/स्टाफ अधिकारी" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ख) क्रमांक 8, 9, 9क, 10 और 11 के सम्मुख, "पद का नाम" और "प्रवरण समिति की संरचना" शीर्षक के अंतर्गत, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :

क्रमांक	पद का नाम	प्रवरण समिति की संरचना
8	सहायक और समकक्ष	सलाहकार [प्र0एवंका0] संयुक्त/उप सलाहकार वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
		} प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
9	आशुलिपिक अवर श्रेणी लिपिक	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
		} प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
9क	{फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर (वरिष्ठ ग्रेड)} / फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर / डिस्पैच राइडर	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
		} प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
10	चालक (ग्रेड I) चालक (ग्रेड II)	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
		} प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा
11	परिचर	संयुक्त/उप सलाहकार [प्र0एवंका0] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
		} प्र0एवंका0 प्रभाग के अलावा

बिनोद कुमार, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[विज्ञापन/III/4/142/08/असा.]

टिप्पणी — प्रधान विनियम संख्या 5-4/2000 (प्र0एवंका0) दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए:-

संशोधन	संख्या और तारीख
पहला	1-6/2002-प्र0एवंका0 दिनांक 22 जनवरी, 2004
दूसरा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-I) दिनांक 11 मई, 2004
तीसरा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 17 जून, 2004
चौथा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 10 मई, 2005
पांचवां	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 26 मई, 2006
छठा	5-4/2000-प्र0एवंका0 (खंड-II) दिनांक 09 अक्टूबर, 2006

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2008

The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment)
(Seventh Amendment) Regulations, 2008
(No. 4 of 2008)

No. 5-4/2000-A&P .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of sections 10 and sub-section (1) of section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001(2 of 2001), namely:-

1.(1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Seventh Amendment) Regulations, 2008 .
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 3 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001, (hereinafter referred to as the principal regulations), ----
(a) in sub-regulation (i), in clause(b), for the words "formation of the Officers cadre.", the words, figures and letter "formation of the Officers' cadre including the officers permanently absorbed under regulation 10A of these regulations" shall be substituted;
(b) in sub-regulation (iii),----
(i) under Table A, under heading "grade/post---

(A) for entry "Joint Advisor", the entry "Joint Advisor/Staff Officer" shall be substituted;
(B) for entry "Section Officer/Private Secretary/Assistant Accounts officer/Librarian", the entry "Section Officer/Private Secretary/Librarian" shall be substituted;
(ii) below Table A, for the words, "the number of grades and strength of the posts" the words and brackets "the number of grades and strength of the posts, (including the number of posts in the various Divisions of the Authority)" shall be substituted.
3. In regulation 5 of the principal regulations,----
(a) in sub-regulation (i),---
(i) in the opening portion, for the words " in the following manner", the words "in the following manner and in accordance with Schedule I" shall be substituted;
(ii) in the Table,----
(I) against the post of Secretary, for the entry "Promotion/Deputation/Direct Recruitment (DR)", the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;
(II) against the post of Principal Advisor, for the entry "-do-"; the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;
(III) against the post of Advisor, for the entry "-do-", the entry "Deputation/ Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;
(IV) against the post of Jt. Advisor, for the entry "-do-", the entry "Deputation/ Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;
(V) after the post of "Joint Advisor", the following post and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

Name of the Post	Mode of Recruitment	Qualification/Experience
"Staff Officer"	Promotion/Deputation/Absorption	As in Schedule I';

(VI) for the post of Dy. Advisor/Senior P.P.S., Senior Research Officer/Principal Private Secretary, Technical Officer, Section Officer/Private Secretary/Asstt Accounts Officer/ Librarian and entries relating thereto, the following posts and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Name of the Post	Mode of Recruitment	Qualification/Experience
“Deputy Advisor	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule I
Senior Principal Private Secretary	Promotion/Deputation/Absorption	As in Schedule I
Senior Research Officer	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule I
Principal Private Secretary	Promotion/Deputation/Absorption	As in Schedule I
Technical Officer	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule I
Section Officer	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule I
Private Secretary	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule I
Librarian	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule I”;

(b) after sub regulation (ii), the following sub regulation shall be inserted, namely:-

“(iii) Officers borne on the cadre of TRAI and possessing requisite qualifications and experience for the posts of Secretary, Principal Advisor, Advisor and Joint Advisor shall also be eligible for consideration for appointment to these posts alongwith outside candidates for appointment on deputation, absorption or direct recruitment on the basis of combined evaluation of the candidate’s performance in the interview and his/her qualifications/job experience by the Selection Committee.

4. After regulation 10 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely:-

“PART VA—ABSORPTION

10A.(1) The Appointing Authority may, from time to time, by appropriate order, appoint on permanent absorption basis any person already appointed on deputation in the Authority;

Provided that no person shall be absorbed in the Authority unless, such person has,----

(a), given in writing his option to get permanently absorbed in the Authority, on being called to do so by the Authority, and

(b) completed one year on deputation in the Authority.

(2) The Appointing Authority may absorb any person referred to in sub-regulation (1),--
(a) on recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Authority; and
(b) in consultation with the parent Ministry/Department/Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous Body, as the case may be, for absorption of such persons.”
5. In regulation 11 of the principal regulations,--
(a) in clause (ii), after the words “Specially a certain seniority in that grade”, the words “by the Authority” shall be inserted;
(b) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-
“(iia) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later, his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis in his parent Department such regular service in the grade shall also be taken into account in fixation of his seniority, subject to the condition that he will be given seniority from---
(A) the date he has been holding the post on Deputation; or
(B) the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his parent Department,
whichever is earlier:
Provided that the fixation of seniority of a transferee in accordance with the above principles will not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption.”
6. In regulation 12 of the principal regulations, for the word “short term requirement”, the words “ short term requirement not exceeding three years” shall be substituted.
7. In regulation 13 of the principal regulations, for the words “and Public Sector Undertakings”, the words “Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous bodies” shall be substituted.
8. In regulation 14 of the principal regulations,---
(a) in sub-regulation (i), in clause(b), for the words “formation of the Staff cadre”, the words, figures and letter “formation of the Staff cadre including the staff permanently

absorbed under regulation 21 A of these regulations” shall be substituted;
(b) in sub-regulation (iii),---
(i) under Table B, -----
(A) the post “Junior Accounts officer” shall be omitted;
(B) for entry “Photo Copy Machine Operator”, the following entries shall be substituted, namely:-
“Photo Copy Machine Operator (Senior Grade)
Photo Copy Machine Operator”,
(ii) below Table B, for the words, “the number of grades and strength of the posts”, the words and brackets “the number of grades and strength of the posts, (including the number of posts in various Divisions of the Authority)” shall be substituted;
9. In regulation 16 of the principal regulation, --
(a) for sub-regulation (i), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
“(i) After initial constitution of the staff cadre, if any vacancy arises in any of the grades specified in sub-clause (iii) of clause 14 or if new posts are created in any of the grades, it shall be filled up in accordance with Schedule II and in the following manner, namely:-

Name of the Post	Mode of Recruitment	Qualification/ Experience
Assistant/Personal Assistant	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule II
Stenographer	Deputation/Absorption/Direct Recruitment	As in Schedule II
Lower Division Clerk	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule II
Driver (Grade I)	Promotion/Deputation/Absorption	As in Schedule II
Driver (Grade II)	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule II
Photocopy Machine Operator (Senior Grade)	Promotion	As in Schedule II
Photocopy Machine Operator	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule II
Despatch Rider	Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment	As in Schedule II
Attendant	Deputation/Absorption/Direct Recruitment	As in Schedule II

<p>10. After regulation 21 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely:-</p>
<p>“PART XIA---ABSORPTION</p>
<p>21A. (1) The Appointing Authority may, from time to time, by appropriate order, appoint on permanent absorption basis the persons already appointed on deputation in the Authority:</p>
<p style="padding-left: 40px;">Provided that no person shall be absorbed in the Authority unless, such person has,---</p>
<p style="padding-left: 40px;">(a) given in writing his option to get permanently absorbed in the Authority, on being called to do so by the Authority, and</p>
<p style="padding-left: 40px;">(b) completed one year on deputation in the Authority.</p>
<p>(2) The Appointing Authority may absorb the persons referred to in sub-regulation (1) ,--</p>
<p style="padding-left: 40px;">(a) on recommendation of the Selection Committee and having regard to the suitability and the requirement of such person in the Authority; and</p>
<p style="padding-left: 40px;">(b) in consultation with the parent Ministry/Department/Public Sector Undertakings and Statutory or Autonomous Body, as the case may be, for absorption of such person.”</p>
<p>11. In regulation 22 of the principal regulations, -</p>
<p style="padding-left: 40px;">(a) in clause (ii), after the words “specially a certain seniority in that grade”, the words “by the Authority” shall be inserted;</p>
<p style="padding-left: 40px;">(b) after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-</p>
<p style="padding-left: 40px;">“(iia) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later, his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has, however, been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis in his parent Department such regular service in the grade shall also be taken into account in fixation of his seniority, subject to the condition that he will be given seniority from---</p>
<p style="padding-left: 40px;">(A) the date he has been holding the post on Deputation; or</p>
<p style="padding-left: 40px;">(B) the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his parent Department,</p>
<p style="padding-left: 40px;">whichever is earlier:</p>
<p style="padding-left: 40px;">Provided that the fixation of seniority of a transferee in accordance with the above principles will not, however, affect any regular promotions to the next higher grade made</p>

prior to the date of such absorption.”;
12. In regulation 23 of the principal regulations, for the words “short/medium term requirement”, the words “short term requirement not exceeding three years” shall be substituted.
13. In regulation 24 of the principal regulations, for the words “and Public Sector Undertakings”, the words “Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies” shall be substituted.
14. After regulation 24 of the principal regulations, for the heading “PART XIV – MISCELLANEOUS”, the following shall be substituted, namely:-
“PART XIV – MISCELLANEOUS (APPLICABLE FOR OFFICERS AND STAFF)”
15. For regulation 27 of the principal regulation, the following regulation shall be substituted, namely:----
“27. DISCHARGE OF DUTIES OF HIGHER GRADE AND LOWER GRADE IN CERTAIN CASES: The Appointing Authority may, by order, having regard to the exigency of service, direct ,---
(a) to look after work of next higher grade for such period as may be specified in the order, to the officer or staff member while he continues to hold a particular post and responsibility without any pecuniary benefit;
(b) an officer, belonging to a higher grade in the cadre while holding such post, to look after the responsibilities relating to a post in the immediately lower grade without any pecuniary loss”.
16. In Schedule I to the principal regulations,----
(a) against the post of Secretary, -
(A) under the heading “Mode of recruitment”, for the entry “Promotion/deputation/DR” , the entry “Deputation/Absorption/Direct Recruitment” shall be substituted;
(B) under the heading “Length of service for promotion”, the entry, “Not applicable” shall be substituted;
(C) under the heading “Qualification and experience for deputation, in the entry, -

(I) for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(II) after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-

"(v) Masters Degree in Economics/Commerce or Doctorate Degree in Economics/Commerce";

(b) against the post of Principal Advisor,----

(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "-do-", the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) under the heading "Length of service for promotion", the entry, "Not applicable" shall be substituted;

(C) under the heading "Qualification & experience for deputation", ---

(I) in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSUs", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(c) against the post of Advisor,----

(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "-do-", the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) under the heading "Length of service for promotion", the entry, "Not applicable" shall be substituted;

(C) under the heading "Qualification & experience for deputation", ---

(I) in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(d) against the post of Joint Advisor,---

(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "-do-", the entry "Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) under the heading "Qualification & experience for deputation",---					
(I) in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;					
(e) after the post of "Joint Advisor" and the entries relating thereto, the following post and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-					
Name of post	Mode of Recruitment	Qualification & experience for Direct Recruit	Length of service for promotion	Qualification and experience for deputation	Age for Direct Recruit
"Staff Officer	Promotion/ Deputation/ Absorption	Not applicable	Promotion from amongst the officers with 4 years of regular service in Senior Principal Private Secretary grade	Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings, and Statutory or Autonomous Bodies (i) holding equivalent post or (ii) Officers in Senior Principal Private Secretary grade with 4 years of regular service in that grade.	Not applicable";
(f) against the post of Deputy Advisor, ---					
(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "do", the entry "Promotion/ Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;					
(B) under the heading "Qualification & experience for deputation", ---					
(I) in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;					
(g) against the post of Senior Principal Private Secretary, ---					
(A) under the heading "Mode of Recruitment", for the entry "-do-", the entry "Promotion/ Deputation/Absorption/" shall be substituted;					

(B) under the heading "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "Not applicable" shall be substituted;

(C) under the heading "Qualification & experience for deputation", in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(D) under the heading "Age for Direct Recruit", for the entry, the entry "Not applicable" shall be substituted;

(h) against the post of Senior Research Officer, ---

(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "do", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) under the heading "Qualification & experience for deputation", in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(i) against the post of Principal Private Secretary, ---

(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "-do-", the entry "Promotion/Deputation/Absorption" shall be substituted;

(B) under the heading "Qualification & experience for Direct Recruit", the entry "Not applicable" shall be substituted;

(C) under the heading "Qualification & experience for deputation", ---

(I) in the entry for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(E) under the heading "Age for Direct Recruit", the entry "Not applicable" shall be substituted;

(j) against the post of Technical Officer, ---

(A) under the heading "Mode of recruitment", for the entry "Promotion/DR/deputation", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) under the heading "Qualification & experience for deputation" ---

(I) in the entry, for the words "Officers of Central/State Govt/PSU", the words "Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous

Bodies” shall be substituted;
(k) against the post of Section Officer/Assistant Accounts Officer/Librarian;
(A) under the heading “Name of post”, the entry “Section Officer/Librarian” shall be substituted;
(B) under the heading “Mode of recruitment”, for the entry “Promotion/DR/Deputation”, the entry “Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment” shall be substituted;
(C) under the heading “Qualification & experience for deputation”, in the entry, for the words “Officers of Central/State Govt/PSU”, the words “Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies” shall be substituted;
(l) against the post of Private Secretary, --
(I) under the heading “Mode of Recruitment”, for the entry “-do-”, the following entry shall be substituted, namely:-- “Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment”;
(II) under the heading “Qualification & experience for deputation”, in the entry, for the words “Officers of Central/State Govt/PSU”, the words “Officers of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies” shall be substituted;
(m) for the note occurring at the end, the following notes shall be substituted, namely:-
“Note 1.- For the post of Principal Advisors/Advisors/Joint Advisors/Deputy Advisors/Senior Research Officers dealing with matters relating to Networks (including Fixed, Mobile, Converged Networks, Regulatory Enforcement and Quality of Service) in telecommunication, a Degree in Electronic Engg. and/or Telecommunications Engineering from a recognized University would be an essential qualification for the persons appointed by promotion/deputation/absorption/ direct recruitment, as the case may be, and possessing requisite experience in the telecommunication field.
Note 2.--- For the post of Principal Advisors/Advisors/Joint Advisors/Deputy Advisors/Senior Research Officers dealing with matters not falling under Note 1, a Master/Bachelors Degree in Business Administration/Economics/Commerce/ Engineering/Law/Science/Humanities from a recognized University/institution or, Membership of the Institute of Chartered Accountants of India/Institute of Cost and

5084 GI/08-4

Works Accountants of India, as the case may be, would be an essential Qualifications for the persons to be appointed by promotion/deputation/absorption/direct recruitment, as the case may be, and possessing requisite experience in the relevant field.

Note 3. ---The maximum age for persons to be appointed on deputation to the posts of Principal Advisors, Advisors, Joint Advisors, Staff Officer, Deputy Advisors, Senior Principal Private Secretary Senior Research Officers, Principal Private Secretary, Technical Officers, Section Officer/Librarian and Private Secretary shall in no case exceed fifty six years on the date of closing of applications for filling up the posts, as the case may be.

Note 4. ---The persons appointed before the commencement of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Seventh Amendment) Regulations 2008, and holding post in the feeder grade, shall continue to be considered for promotion to such next higher post and all other provisions of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001(2 of 2001), as they stood before such commencement, shall continue to apply to such persons appointed before such amendment.

Note 5.--- Mere fulfillment of eligibility criteria as specified in these Regulations, will not confer a right upon any individual for claiming promotion to the next higher grade. Cases for promotion would be considered subject to administrative expediency keeping in view availability of vacancies in the next higher grade.

17. In Schedule II to the principal regulations, ---

(a) for the post of "Junior Accounts Officer/Assistant" and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"Name of Post	Mode of Recruitment	Qualification & experience for Direct Recruit	Length of service for promotion	Qualification and experience for deputation	Age for Direct Recruit
Assistant	Promotion/ Deputation/ Absorption/ Direct Recruitment	A Graduate Degree from a recognised University/ Institution. Possessing working knowledge of computer	Promotion from amongst the officials with ten years of regular service in the LDC grade with working knowledge of computer.	Officials of Central Government, Public Sector Undertakings, and Statutory or Autonomous Bodies (i) holding equivalent post or (ii) ten years of service in the	Not exceeding 28 years"

				pay scale of Rs.3050-4590 with working knowledge of computer.	
(b) against the post of Personal Assistant,---					
(A) under the heading "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/DR/ Deputation", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;					
(B) under the heading " Qualification and experience for deputation", for the words "Officials of Central/State Govt/PSU", the words "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;					
(c) against the post of Stenographer, ---					
(A) under the heading "Mode of Recruitment", for the entry "DR/Deputation", the entry "Deputation /Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;					
(B) under the heading "Qualification and experience for deputation", for the words "Officials of Central/State Govt/PSU", the words "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;					
(d) against the post of Lower Division Clerk, ---					
(A) under the heading "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/DR/Deputation", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;					
(B) under the heading " Qualification and experience for deputation", for the words "Officials of Central/State Govt/PSU", the words "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;					
(e) against the posts of Driver (Grade I) and Driver (Grade II), ---					
(A) under the heading "Mode of Recruitment", for the entry "Promotion/ DR/Deputation", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;					
(B) under the heading "Qualification and experience for deputation" for the words "Officials of Central/State Govt/PSU", the words "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;					
(f) after the post of Driver (Grade II) and entries relating thereto, the following posts and entries relating there to shall be inserted, namely:-					

Name of Post	Mode of Recruitment	Qualification & experience for Direct Recruit	Length of service for promotion	Qualification and experience for deputation	Age for Direct Recruit
"Photo Copy Machine Operator(Senior Grade)	Promotion	Not Applicable	Photo Copy Machine Operator with eight years of regular service in the grade.	Not Applicable	Not Applicable

(g) against the posts of Photo Copy Machine Operator and Despatch Rider, ---

(A) under the heading "Mode of Recruitment" for the entry "By Transfer on deputation failing which by promotion/direct recruitment", the entry "Promotion/Deputation/Absorption/Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) under the heading "Qualification and experience for deputation", before entry (i) the words "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies having the following qualifications and experience namely:-" shall be inserted;

(h) against the post of Attendant, ---

(A) under the heading "Mode of Recruitment", for the entry "DR/Deputation", the entry "Deputation/Absorption/ Direct Recruitment" shall be substituted;

(B) Under the heading " Qualification and experience for deputation", in the entry for the words "Officials of Central/State Govt/PSU", the words "Officials of the Central Government, Public Sector Undertakings and Statutory and Autonomous Bodies" shall be substituted;

(i) the following Notes shall be inserted at the end, namely:-

"Note 1.----The maximum age for persons to be appointed on deputation to the posts of Assistant, Personal Assistant, Lower Division Clerk, Driver (Grade I) Driver (Grade II), Photo Copy Machine Operator, Despatch Rider, and Attendant, shall in no case exceed fifty six years on the date of closing of applications for filling up the posts.

Note. 2.----The persons appointed, before the commencement of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Seventh Amendment) Regulations, 2008, and

holding post in the feeder grade, shall continue to be considered for promotion to such next higher post and all other provisions of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001(2 of 2001), as they stood before such commencement, shall continue to apply to such persons appointed before such amendment.

Note 3.—The ex-servicemen and persons having training in basic and refresher courses in Home guards and civil Defence shall be given preference for appointment/promotion to the posts of Driver (Grade I), Driver (Grade II), Photo Copy Machine Operator (Senior grade), Photo Copy Machine Operator, Despatch Rider, and Attendant.

Note 4.— Mere fulfillment of eligibility criteria as specified in these Regulations, will not confer a right upon any individual for claiming promotion to the next higher grade. Cases for promotion would be considered subject to administrative expediency keeping in view availability of vacancies in the next higher grade.

18. In Schedule III to the principal regulations, ---

(a) against serial number 3, under the heading "Name of the post", for the entry "Joint Advisor", the entry "Joint Advisor/Staff Officer" shall be substituted;

(b) against serial number 8, 9, 9A, 10 and 11 for the posts under the heading "Name of the post" and entries relating thereto under the heading "Composition of the Selection Committee", the following posts and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of the post	Composition of the Selection Committee
"8	Assistant & equivalent	Advisor [(A&P)] Jt./Dy. Advisor Sr. Research Officer } Other than A&P division
9	Stenographer Lower Division Clerk	Jt/Dy. Advisor [(A&P)] Sr. Research Officer Sr. Research Officer } Other than A&P division
9A	Photocopy Machine Operator (Senior Grade)/Photocopy Machine Operator/Despatch Rider	Jt/Dy Advisor [(A&P)] Sr. Research Officer Sr. Research Officer } Other than A&P division
10	Driver (Grade-I) Driver (Grade-II)	Jt/Dy Advisor [(A&P)] Sr. Research Officer Sr. Research Officer } Other than A&P division

11	Attendant	Jt./Dy/ Advisor (A&P) Sr. Research Officer Sr. Research Officer	} Other than A&P division
----	-----------	--	------------------------------

BINOD KUMAR, Advisor (A&P)

[ADVT-III/4/142/08/Exty.]

Note — The principal regulations were published vide no.5-4/2000 (A&L) dated 15th February 2001 and amended vide

- i) 1-6/2002-A&L dated 22nd January, 2004
- ii) 5-4/2000-A&L (Vol.I) dated 11th May, 2004
- iii) 5-4/2000-A&L (Vol.II) dated 17th June, 2004
- iv) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 10th May, 2005
- v) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 26th May, 2006
- vi) 5-4/2000-A&P (Vol.II) dated 9th October, 2006